स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 283, दिनांक 08–11–2020

एस0टी0एफ उ0प्र0 द्वारा जनपद कानपुर नगर से एटीएम हैकर गिरोह का मास्टर माइण्ड, पुणे, महाराष्ट्र से वांछित अभियुक्त एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

दिनाकः 07.11.2020 को एस0टी0एफ उ0प्र0 द्वारा क्राइम ब्रान्च पुणे, महाराष्ट्र से वांछित एटीएम हैकर गिरोह का मास्टर माइण्ड मुकेश यादव को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

मुकेश यादव पुत्र राजेश यादव निवासी करबिगंवा, थाना नरवल, कानपुर नगर।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी –

1. 02 अदद मोबाइल।
2. 01 अदद एटीएम कार्ड।
3. 01 मोटर साइकिल।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

दिनॉकः 07.11.2020, समयः 11:15 बजे, सरसौल, फ्लाई ओवर के आगे थाना क्षेत्र महराजपुर कानपुर नगर

दिनाकः 30.10.2020 को थाना सिंहगढ रोड, जिला पुणे, महाराष्ट्र में एटीएम हैकर गिरोह के सदस्य संदीप कुमार पुत्र रामसनेही प्रजापति निवासी करबिगंवा, थाना नरवल, कानपुर नगर, हाल पता मेघश्रृष्टि अपार्टमेण्ट, पारिख रोड, फ्लैट नं0–501, जिला पुणे एवं अरविन्द पुत्र राजाराम निवासी करचलपुर पो0 बिजौली, थाना बिन्दकी, जिला फतेहपुर हाल पता उपरोक्त, अशोक पुत्र राजाराम निवासी उपरोक्त को 58 एटीएम कार्ड के साथ क्राइम ब्रान्च, महाराष्ट्र द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंहगढ पर मु0अ0सं0–2563/2020 धारा 465/467/468/471/420 /120 बी भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। घटना का मुख्य अभियुक्त व मास्टर माइण्ड मुकेश यादव पुत्र राजेश यादव उपरोक्त तत्समय भागने में सफल हो गया था एवं मुकदमा उपरोक्त में वांछित था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु क्राइम ब्रान्च पुणे, महाराष्ट्र की टीम द्वारा एस0टी0एफ उ0प्र0 से सम्पर्क किया गया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर एस0टी0एफ फील्ड यूनिट कानपुर द्वारा वांछित अभियुक्त मुकेश यादव उपरोक्त के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से सूचना संकलित कर दिनॉकः 07.11.2020 को समयः 11:15 बजे सरसौल, फ्लाई ओवर के आगे थाना क्षेत्र महराजपुर कानपुर नगर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

अभियुक्त ने पूछताछ के क्रम में बताया कि कानपुर नगर व आस–पास के जनपदों में काफी नवयुवक एटीएम मशीन की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर उत्तर प्रदेश व विभिन्न प्रान्तों में जाकर धोखाधड़ी करके एटीएम मशीनों से अनाधिकृतरूप से पैसों का विड्राल कर लेते हैं तथा बैंको को भारी मात्रा में आर्थिक क्षति पहुॅचाते है। इसी क्रम में पुणे सिटी महाराष्ट्र में दिनॉकः 23.10.2020 से 27.10.2020 तक अभियुक्तगणों द्वारा भिन्न–भिन्न एटीएम से लाखों रूपये की अवैध निकासी की गयी थी, जिसके पश्चात थाना सिंहगढ रोड, जिला पुणे सिटी महाराष्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त मुकेश यादव उपरोक्त को मा0 न्यायालय, सीएमएम, कानपुर नगर में प्रस्तुत कर क्राइम ब्रान्च पुणे महाराष्ट्र द्वारा 03 दिवस ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर वापस पुणे, महाराष्ट्र रवाना किया गया।